न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

69 / रीडर / 2015

अलीराजपुर दिनांक 16/3/2015

प्रकरण कमांक 15 / बी–121 / 2014–15

: आदेश :

(आज दिनांक 16 मार्च 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार कठठीवाडा का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण का अवलोकन किया गया । दिनांक 09.11.2014 को मुकेश पिता नजरिया भीलाला निवासी मोरधी तहसील कठठीवाडा की कृषि कार्य (विघुत पंप से सिंचाई करने के दौरान करंट लगने से) करते समय मृत्यु हो गई है । मृतक के वारिशान में उसके पिता श्री नजरिया पिता रतनिया जाति भिलाला निवासी मोरधी तहसील कठठीवाडा को आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00 / –(एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत अनुसार मृतक के वारिशान में उसके पिता श्री नजरिया पिता रतनिया जाति भिलाला निवासी मोरधी तहसील कठठीवाडा को माननीय मुख्यमंत्री कृषकं कल्याण योजना के अन्तर्गत आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00 / –(एक लाख रुपये मात्र)स्वीकृत किये जाते है । म.प्र कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000, नियम 7 एवं संशोधित आदेश कमांक / बोर्ड / योजना / गै.त. / मृ.कृ.जी.क.यो. / 2171 / भोपाल दिनांक 06.9.2012 के विहित प्रावधानों अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00 / –(एक लाख रुपये मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अनुदान राशि आहरण कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरण की जावे ।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क / 270 / रीडर / 2015

अलीराजपुर दिनांक 16/3/2015

प्रतिलिपि:–

1– सहायक संचालक ऑचलिक कार्यालय कृषि विपणन बोर्ड,इंदौर की ओर सूचनार्थ।

2– प्रभारी अधिकारी (वित्त–2 / राहत शाखा) जिला अलीराजपुर की ओर राशि आहरण कर वितरण हेतु।

3– जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।

4– उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अलीराजपुर ।

5– सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।

7– तहसीलदार कठठीवाडा ।

8– सचिव कृषि उपज मंडी अलीराजपुर ।

9– संबंधित (आवेदक) श्री नजरिया पिता रतनिया जाति भिलाला निवासी मोरधी तहसील कठठीवाडा की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर